पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (IV) यो॰ – 9 / 2020–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत 7 (सात) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला में अधिष्ठापित कम्प्यूटर के नेटवर्किंग के लिए कुल रू॰ 28,25,000=00 (अठाईस लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने संस्थानों द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर विभागान्तर्गत 7 (सात) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला में अधिष्ठापित कम्प्यूटर के नेटवर्किंग के लिए कुल रू॰ 28,25,000=00 (अठाईस लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है–

क्र०सं०	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, सीवान	500,000.00
2	बी॰ सी॰ ई॰ भागलपुर	175,000.00
3	अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई	500,000.00
4	अभियंत्रण महाविद्यालय, गया	500,000.00
5	अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर	500,000.00
6	रा॰रा॰ सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय	500,000.00
7	अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार	150,000.00
	कुल योग	**2,825,000.00**

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष–2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष– 00, लघु शीर्ष– 112–इंजीनियरी / तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष– 0101– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलित होगा जिसका विपत्र कोड 43–2203001120101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी कोषागार, संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. उक्त राशि से सामग्रियों के क्रय हेतु बिहार (वित्त) संशोधित नियमावली–2005 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा तथा सभी प्रक्रियाओं का विधिवत पालन कर क्रय किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 3758 वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो॰ – 9/ 2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो॰ – 9/ 2020– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, सीवान/भागलपुर/जमुई/गया/बाढ़ (पटना)/ बेगुसराय/कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (IV) यो॰ – 9/ 2020– 989 /पटना, दिनांक– 12/3/2020

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, सीवान, बी॰सी॰ई॰ भागलपुर, अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई, अभियंत्रण महाविद्यालय गया, बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, रा॰रा॰ सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय एवं अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.3.20
सरकार के उप सचिव